न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
46/2019/प्रा.पत्र/2019	15.07.2017	05.09.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री राजेन्द्र विजय पुत्र रामगिलोल विजय मोबाईल वेन्डर निवासी थाने के सामने नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 05.09.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2019 को समय 12.39 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण के दौरान स्थान बस स्टैण्ड गलोद तहसील पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर श्री राजेन्द्र विजय पुत्र रामगिलोल विजय वाहन संख्या आ. जे. 14 टी.सी. 0218 टैम्पो मे खाध पदार्थ बैचते हुये मिला,को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर श्री राजेन्द्र विजय ने स्वंय को मोबाईल वेन्डर होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र बाबत कारोबार अभी–अभी चालू किया जाना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा श्री राजेन्द्र विजय की उपस्थित मे टैम्पो मे रखे **प्रोपरायटरी फूड स्नैक्स बेस्टी पॉली पैक ब्राण्ड (Proprietary Food Snacks Besty Wow Ringo Poly Pack)** जिसके बेच नं. आर. 36 व पैकिंग की दिनांक 23.01.2019 थी,टैम्पो मे कागज के कार्टून मे रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेन्द्र विजाय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा टैम्पो मे रखे **प्रोपरायटरी फूड़ स्नैक्स बेस्टी पॉली पैक ब्राण्ड (Proprietary Food Snacks Besty Wow Ringo Poly Pack)** 25–25 ग्राम पैक के 120 पैक के 2 कार्टून टैम्पो मे से 80 मूल पैक 25–25 ग्राम को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र विजय को रू 300/–अक्षरे तीन सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **प्रोपरायटरी फूड स्नैक्स बेस्टी पॉली पैक ब्राण्ड (Proprietary Food Snacks Besty Wow Ringo Poly Pack)** 25–25–ग्राम के 80 मूल पैक को ज्यो का त्यो 4 भाग तैयार कर प्रत्ये कमे 20–20 पैक (एक भाग 500 ग्राम)और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2109 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज मे लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2109 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. राजेन्द विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./19/1426 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/511/एक्ट/2019/291 दिनांक 14.03.2019 अनुसार राजेन्द विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **प्रोपरायटरी फूड स्नैक्स बेस्टी पॉली पैक ब्राण्ड (Proprietary Food Snacks Besty Wow Ringo Poly Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) **व भ्रामक विज्ञापन** (Misleading) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) **व भ्रामक विज्ञापन** (Misleading) स्तर का **प्रोपरायटरी फूड स्नैक्स बेस्टी पॉली पैक ब्राण्ड (Proprietary Food Snacks Besty Wow Ringo Poly Pack)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 53 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **प्रोपरायटरी फूड स्नैक्स बेस्टी पॉली पैक ब्राण्ड (Proprietary Food Snacks Besty Wow Ringo Poly Pack)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) **व भ्रामक विज्ञापन** (Misleading) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड स्नैक्स बेस्टी पॉली पैक ब्राण्ड (Proprietary Food Snacks Besty Wow Ringo Poly Pack)**का नमूना जांच मे **मिथ्याछाप** (Mis-branded) **व भ्रामक विज्ञापन** (Misleading) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 53 अप्रार्थी श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

राजेन्द्र विजय पुत्र रामगिलोल विजय मोबाईल वेन्डर निवासी थाने के सामने नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.09.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त टोंक मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner